

## कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रजमोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) को मंजूरी दी है।

### विवरण :

- एएसआरबी में अब तीन सदस्योंके स्थाय पर चार सदस्य होंगे। बोर्ड में एक अधिष्ठा और तीन सदस्यबहोंगे।
- एएसआरबी तीन वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, तक होगी।
- स्वायत्तता, गोपनीयता, उत्तमदायित्वो और एएसआरबी के कारगर संचालन के उद्देश्य को ध्याब में रखते हुए उसे आईसीएआर से पृथक कर दिया जाएगा तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से जोड़ दिया जाएगा।
- एएसआरबी का बजट भी आईसीएआर से पृथक करके कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया जाएगा। एएसआरबी का सचिवालय में अपना प्रशासनिक स्टॉफ़ होगा और उसका स्वतंत्र प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

### प्रभाव :

एक अध्यक्ष और तीन सदस्योंवाले चार सदस्यीय संस्थाके गठन से एएसआरबी का कामकाज दुरुस्त हो जाएगा। इसके कारण भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी, जो कृषि समुदाय और कृषि के लिए फायदेमंद होगी। इसके अलावा देश में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा संबंधी प्रमुख एजेंसी आईसीएआर में विभिन्न वैज्ञानिक पदों पर प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की भर्ती पारदर्शी और कुशल तरीके से संभव होगी।

### पृष्ठभूमि :

नवम्बर 1973 में सरकार ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी थी, जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति शामिल थी। इसके तहत कृषि अनुसंधान सेवा एवं अनुसंधान पदों पर विभिन्नत वैज्ञानिकों की नियुक्ति के संबंध में स्वतंत्र भर्ती एजेंसी के रूप में काम करना तय किया गया था। एएसआरबी के कामकाज में बढ़ोतरी को ध्याब में रखते हुए बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रस्तावको अक्टूबर 1986 में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी जिसके तहत सदस्यता एक से बढ़ाकर तीन कर दी गई थी। 1986 में हुए एएसआरबी के पुनर्गठन के बाद से बोर्ड का कामकाज बढ़ता गया और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उसकी भूमिका भी बढ़ गई। तदनुसार बोर्ड के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके मद्देनजर अध्यक्ष एवं अन्यसदस्योंत को विशेषज्ञता के आधार पर शामिल किया जाना तय हुआ।